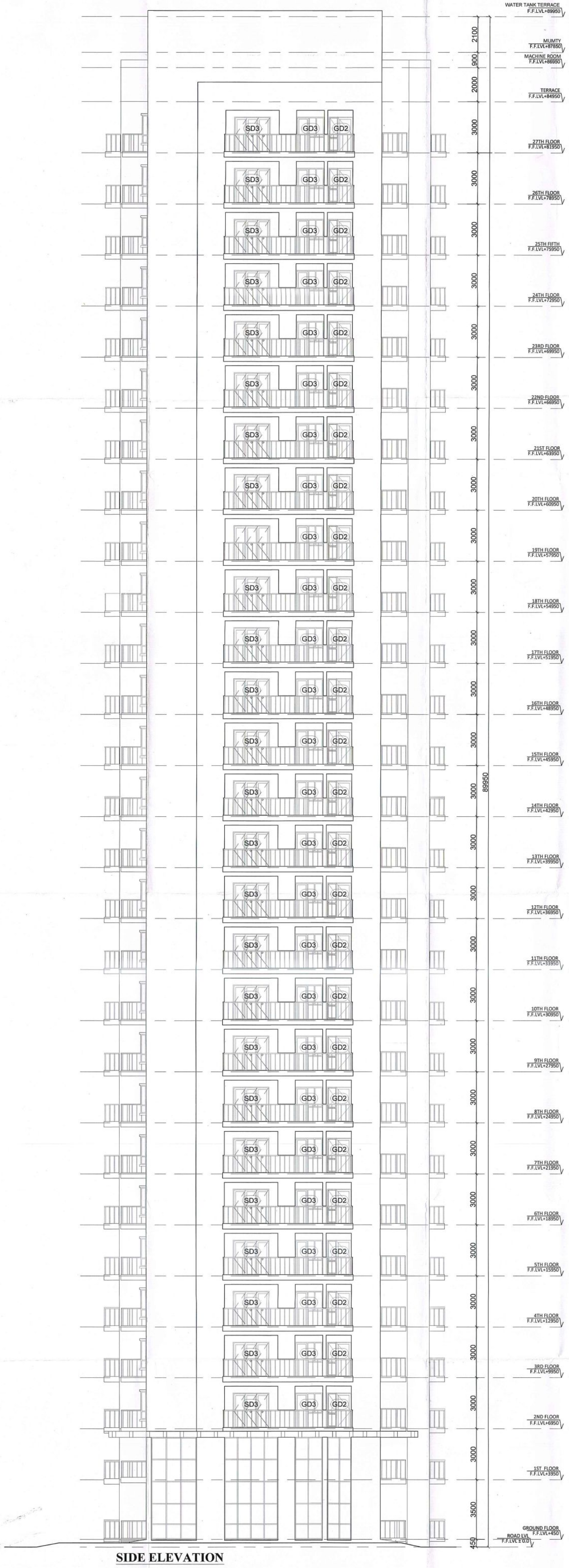

**SIDE ELEVATION**
**BLOCK - 1** (2B+G+27)

This drawing is a "COPYRIGHT" contents
of this drawing or part thereof may
not be used or reproduced without
the permission of the Architect

NORTH

PROJECT

PROPOSED GROUP HOUSING - 1
AT SECTOR-F, POCKET-1
SUSHANT GOLF CITY
HI-TECH TOWNSHIP, LUCKNOW

NOTES

1. ALL DIM. ARE IN MM.
2. ALL FIRE CHECK DOORS ARE OF 2H RATING.

## प्रतिबन्ध

1 भू–स्वामित्व तथा भूमि वाद–विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नही होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। भूखण्ड के जिन खसरा नम्बर का स्वामित्व ग्राम सभा की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नहीं है, उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नही करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।
2 वर्तमान शासनादेश के क्रम में लैण्ड स्केपिंग प्लान के अनुसार वृक्षारोपण अनिवार्य होगा।
3 शासनादेश के अनुसार स्थल पर भूकम्प विरोधी निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा।
4 लैण्ड स्केपिंग प्लान व सर्विसेज प्लान के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होगे।
5 मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।
6 पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
7 अपार्टमेन्ट एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
8 रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वॉटर सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
9 लेबर एक्ट व नेशनल सेफ्टी कोड का अनुपालन करना होगा, तथा लेबर सेस से सम्बन्धित शुल्क जमा करके प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
10 स्थल पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं बाधारहित सुविधाओं का विकास करना होगा।
11 स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापट् लगाना होगा।
12 यदि कोई देनदारी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा मॉगे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।
13 भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की अनापत्ति 06 माह के अन्दर प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14 यदि भविष्य मे ऐसी कोई बात प्रकाश मे आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नही किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

भवन मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध सहित स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि विवाद स्वामित्व के लिए विधता मान्य नहीं है।

कार्यालय विकास प्राधिकरण
स्वीकृत
परमिट संख्या 41149
दिनांक 22-02-2017
स्वीकृत की वैधता दि० 22-02-2022
विकास क्षेत्र, लखनऊ

**SUBMISSION DRAWING**

**(BLOCK-2 & BLOCK-4)**

| | |
|---|---|
| DRAWING TITLE | SIDE ELEVATION |
| DEALT BY<br>GEETA | CHECKED BY<br>LALIT |
| SCALE<br>1:100 | DATE<br>MAY-2016 |

यह मानचित्र लखनऊ महायोजना 2021 तथा भवन उपविधि 2008 तथा सम्यक शासनादेशों के अनुरूप तैयार किया गया है।

| CONSULTANT | CLIENT/ OWNERS |
|---|---|
| REPL<br>RUDRABHISHEK ENTERPRISES PVT. LTD.<br>TOWN & COUNTRY PLANNERS, ARCHITECTS & INTERIOR DESIGNERS,SURVEY CIVIC,<br>SERVICES DESIGNERS.<br>GROUND FLOOR, YUVA BHAWAN,YMCA COMPLEX, 13 RANA PRATAP MARG LUCKNOW.<br>CALL - (0522) 2206165 | ansal API<br>ANSAL PROPERTIES &<br>INFRASTRUCTURE LTD.<br>115, ANSAL BHWAN,<br>16, K.G. MARG, NEW DELHI - 110001 |
| VIRE[illegible] KUMAR<br>Architect<br>Regd. No. : CA/2005/35401 | ANSAL PROPERTIES & INFRASTRUCTURE LTD.<br>1st Floor, Y.M.C.A. Building<br>13, Rana Pratap Marg, Lucknow - 226001 |
| ARCHITECT'S SIGNATURE | OWNER'S SIGNATURE |

DRAWING NUMBER - GH/HI-TECH/LKO/SUB-10/18